UPRP010039492026

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण(जमानत) प्रार्थना पत्र सं०-**164**/2026

रजि०सं०–1028/2026

साहिब सिंह उर्फ बाबा उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र गुरचरन सिंह, निवासी ग्राम काला टिब्बा थाना ममडोट, जिला फिरोजपुर (पंजाब)

–––आवेदक–अभियुक्त।

–बनाम–

सरकार उत्तर प्रदेश ––––––––––––––––––––––––––––**विपक्षी**

धारा 309(4), 317(2), 61(2) बी०एन०एस०
थाना जी०आर०पी०, जिला रामपुर।
मुकदमा अपराध सं0 06/2026

<u>आदेश</u>

आवेदक–अभियुक्त साहिब सिंह उर्फ बाबा की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 06/2026, धारा–309(4), 317(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता थाना जी०आर०पी०, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन के साथ पैरोकार गुरचरन सिंह का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्क सुने तथा पत्रावली एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा रीतिक मण्डल पुत्र अनिल मण्डल के द्वारा एक तहरीर थाना जी०आर०पी०, रामपुर पर इस आशय की दी गयी कि वह ग्राम जाफरपुर, थाना दीनेशपुर, जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) का रहने वाला हैं। दिनांक 15–04–2026 को ट्रेन संख्या 15036 सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस में कोच सं० D–1 सीट नं० 37, 38 पर मैं व मेरा साथी साहीब सिंह रुद्रपुर सिटी से दिल्ली जंक्शन के लिये यात्रा कर रहे थे, तो रुद्रपुर सिटी स्टेशन व बिलासपुर स्टेशन के बीच ट्रेन में यात्रा के दौरान तीन अज्ञात व्यक्ति आये और अपने को पुलिस बताकर केवल हम दोनों को बोला कि तुम दोनों तस्कर हो और दोनों को गेट पर ले आये। तलाशी लेने लगे। मेरे पास से करीब 1, 50, 000/–रुपये तथा साहीब सिंह से करीब 1, 00, 000/–रुपये ले लिये। मेरा फोन भी ले लिया। बाद में मेरा फोन डिब्बे में फेंककर ट्रेन से कूदकर भाग गये। इस घटना में एक व्यक्ति ने अपने कटटे से हमें डराया। कुल दोनों से ढाई लाख रुपये ले लिये। तीनों अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही कर पैसे बरामद करने की कृपा करें।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है तथा वह दिनांक 30.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसे उक्त मुकदमे में झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त का उक्त मुकदमे से कोई ताल्लुक/वास्ता नहीं है। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है,जो कि सरासर गलत एवं काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है तथा वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है। अभियुक्त द्वारा कोई लूटपाट नहीं की गयी है और न ही कोई रुपये लूटे गये हैं तथा न ही कोई फोन छीनकर फेंका गया है। अभियुक्त द्वारा कोई आपराधिक षडयंत्र नहीं किया गया है।अभियुक्त के पास से पुलिस द्वारा जो बरामदगी दर्शायी गयी है,वह झूठी एवं फर्जी है। उपरोक्त बरामदगी से अभियुक्त का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। मुकदमा वादी द्वारा लूट की घटना कारित करना तीन व्यक्तियों द्वारा दर्शाया गया है। अभियुक्त को वादी द्वारा नहीं बताया गया है कि पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से झूठा अभियुक्त बनाया गया। वादी द्वारा अभियुक्त को पहचाना नहीं गया है। अभियुक्त का उक्त मुकदमे की घटना से कोई संबंध नहीं हैं अभियुक्त गुरुद्वारा फिरोजपुर में दिनांक 29.05.2026 से सेवादार है। अभियुक्त को पुलिस अपने साथ बुलाकर लायी है, जिसका इन्द्राज थाने पर दर्ज है। जी०आर०पी० पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन,रामपुर की फर्जी गिरफतारी दिखायी गयी है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रा्रथना पत्र है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय ,इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है। उक्त प्रकरण की घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है,जो भी गवाहान दर्शाये गये हैं,वह पुलिस कर्मी हैं। अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है तथा वह मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अभियुक्त पंजाब का मूल निवासी है। जमानत पर छूट जाने के बाद उसके भाग जाने की कोई संभावना नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के कब्जे से लूट के रुपये बरामद हुये हैं। अभियुक्त के द्वारा यात्रा के दौरान वादी मुकदमा से लूट की गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध अंकित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

केस डायरी के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रकरण की प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त साहिब सिंह उर्फ बाबा का नाम सहअभियुक्त वंश सिंह के बताने पर दौराने विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्त से मात्र अंकन 4600/-रुपये के अलावा अन्य कोई लूट की गयी वस्तु की बरामदगी पुलिस द्वारा होना कथित नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचनोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। प्रकरण में विवेचना की कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 अर्थात लगभग 01 माह 21 दिन से जिला कारागार, रामपुर में निरुद्ध है। थाना आख्या में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतःमामले के समस्त तथ्यों,परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे विचार से आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

तदनुसा**र आवेदक–अभियुक्त साहिब सिंह उर्फ बाबा** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत

बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल करने पर पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2– प्रार्थी / अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।
3– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा और अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

(अजय कुमार दीक्षित)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
रामपुर।
J.O.Code–UP6153

दिनांकः 21–07–2026